आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या-1/2021/87/90-सं0शि0प0का0/2021-01(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0सिंह-।।,
प्रमुख सचिव,
संसदीय कार्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2021**

विषयः- मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के उपरान्त क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत संसदीय कार्य अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1117/90-सं0-1-2015-70सं/1984, दिनांक-15 अक्टूबर, 2015 एवं संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-18 अक्टूबर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये थे, कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में उक्तानुसार एक **"जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** रखा जाय, जिसमें मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को दर्ज किया जाय। समय से उसकी पावती भेजी जाये, निस्तारण की अन्तिम तिथि से भी सम्बन्धित को यथाशीघ्र अवगत कराया जाये। जिन प्रकरणों में समय लगने की सम्भावना हो उसके बारे में एक अन्तरिम उत्तर भेजकर पृथक से उन्हें अवगत करा दिया जाय, जिससे मा0 सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े। तत्सम्बन्धी प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में भी दर्ज की जाय।

3- शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के बाद भी मा0 सदस्यों द्वारा पुनः शासन के संज्ञान में लाया गया है, कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधिगण के पत्रों को गम्भीरता से न लेकर उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत उक्त शासनादेशों दिनांक दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 एवं 18 अक्टूबर, 2017 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे0पी0सिंह-।।
प्रमुख सचिव।

क्रमशः पृ-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1/2021/87(1)/90-सं0शि0प0का0/2021-01(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

5- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

6- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पूनम त्रिवेदी
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।